न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट आर.ए.एस
अपील संख्या 202/2017 एल आर एक्ट
अनवान रावतसिंह वगैरह बनाम पूनमचन्द्र वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
13–09–2019	यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर के आदेश दिनांक 9.3.2015 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके तहत रेस्पोडेंट् पूनमचन्द्र की खातेदारी भूमि ख.नं. 89/66 तादादी 18 बीघा ख.नं. 91/66 तादादी 19 बीघा 2 बिस्वा रोही उड़सर भैभरा का सीमांकन करवाने तथा पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करने के आदेश दिये गये। अपीलांट का कथन है कि इसी भूमि पर उन्हें अतिक्रमी मानकर बैदखली हेतु एक वाद अलग से विचाराधीन होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 113 के तहत अलग से कार्यवाही नहीं हो सकती। अपील पेश करने में हुये मामूली विलम्ब के बारें में बताये गये कारण संतोषजनक पाये जाने पर अपील अन्दर मियाद मानी गई। अपीलाधीन आदेश राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता की जानकारी होने पर किसी एक पक्षकार की दरख्वास्त पर सीमांकन करवाने के लिये जारी किया गया है। भूमि के सीमा विवादों में पक्षकारों की मौजूदगी में रिकार्ड व मौके की स्थिति की पैमाइश करना तथा उक्त पैमाइश के आधार पर पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करना भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है। यदि किसी पक्षकार की सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आपत्ति हो तो सीमांकन करने वाले अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस आड़ में कार्यवाही शुरू करने की उसकी वैधानिकता को चुनौति नहीं दी जा सकती। सीमा विवाद तथा अतिक्रमण के मामलों के निस्तारण से पूर्व सीमांकन किया जाना आवश्यक है। यदि किसी पक्षकार के विरूद्व सक्षम न्यायालय में बैदखदली का वाद विचाराधीन है तो भी सीमा ज्ञान तथा पत्थर गढ़ी की कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	